13

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)

नई दिशा की ओर

अध्याय 13

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)

13.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की स्थापना 28 जून, 1990 को हुई। इसे सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 18 मार्च, 1999 को एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया। इसे 17 जुलाई, 2003 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में बाल संरक्षण एवं सहयोग पर हेग कन्वेंशन (1993) के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्राधिकारण के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया।

13.2 राज्य सरकारों की अनुशंसा पर कारा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए अभिकरणों को मान्यता प्रदान करता है। कारा विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों को भी, जो अपने–अपने देश के उपयुक्त कानूनों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं और जिन्हें विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा संस्तुत किया जाता है, अपनी सूची में रखता है। अब तक कारा ने अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण हेतु देश में 74 भारतीय स्थापना अभिकरणों तथा 25 देशों में 97 सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों, सरकारी विभागों को छोड़कर, को मान्यता प्रदान की है। शिशुगृह स्कीम तथा दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरणों को सहायतानुदान स्कीम के कार्यान्वयन हेतु कारा कार्यक्रम प्रभाग के रूप में कार्य करता है। अब इन स्कीमों का विलय नई समेकित बाल संरक्षण स्कीम में कर दिया गया है।

प्रबंधन समिति और कर्मचारी

13.3 प्रबंधन समिति में सरकारी और गैर–सरकारी दोनों तरह के सदस्य हैं। कारा कार्यक्रम संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। कारा के रोजमर्रा के मामले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सदस्य–सचिव द्वारा निपटाए जाते हैं। कारा में 8 अधिकारी और 19 कर्मचारी कार्यरत हैं।

कार्य

13.4 कारा के कार्य इस प्रकार हैः

- अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में बाल संरक्षण एवं सहयोग कर हेग कन्वेंशन, 1993 के अंतर्गत यथा–परिकल्पित दत्तक ग्रहण मामलों के संबंध में केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना।
- देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने तथा मान्यता–प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरणों और दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरणों के विनियमन और मानीटरन सहित दत्तक ग्रहण से जुड़े अन्य सभी मामलों के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत निकायों के रूप में भारतीय स्थापन अभिकरणों को मान्यता प्रदान करना/मान्यता का नवीकरण करना और उनके कार्यकरण को विनियमित करना, उनका निरीक्षण और मानीटरन करना।
- भारतीय बच्चों के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए आवेदनों को प्रायोजित करने के लिए प्राधिकृत निकायों के रूप में विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों को सूचीबद्ध कना/उनकी सूचियों का नवीकरण करना।
- देश के भीतर और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण दोनों के लिए उपलब्ध अनाथ/परित्यक्त/छोड़ दिए गए बच्चों के संबंध में सूचना के निकासी गृह के रूप में कार्य करना।
- अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के प्रत्येक मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना
- अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण हेतु दिशानिर्देश तैयार करना और कार्यान्वित करना।

- देश के भीतर दत्तक ग्रहण के संबंध में सामान्य नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं के संबंध में दिशानिर्देश जारी करना।
- प्रचार और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से दत्तक ग्रहण की संकल्पना को बढ़ावा देना और उसे लोकप्रिय बनाना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बारे में गैर–सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों, चिकित्सा व्यवसायियों, न्यायिक और पुलिस अधिकारियों को जानकारी देना और उनमें

13.5 कारा का बजट

गैर–योजना **(करोड़ रु. में)**

वित्तीय वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय
2007-2008	1.50	1.50	1.29
2008-2009	2.00	2.00	1.33
2009-2010	2.00	2.00	0.93 (14.01.2010 तक की स्थिति के अनुसार)

योजना **(करोड़ रु. में)**

वित्तीय वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय
2007-2008	2.00	2.00	00.77
2008-2009	2.00	1.45	1.01
2009-2010	*2.00	2.00	0.02 (14.01.2010 तक की स्थिति के अनुसार)

* पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 20 लाख रुपए सहित

दत्तक ग्रहण करने वाले अमेरीकी माता-पिता और उनके दत्तक बच्चों के साथ 'कारा' के अधिकारी

सम्बद्ध अभिकरण

13.6 निम्नलिखित एजेंसियां कारा से संबंधित हैं :

I **मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरणः** इस समय बच्चों के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए कारा द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण अभिकरणों की संख्या 74 है।

II **शिशु गृहः** इस समय घरेलू दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृह स्कीम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले शिशु गृहों/(गैर–सरकारी संगठनों और सरकार द्वारा संचाालित गृह) की संख्या 74 है।

शिशु गृहों और मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरणों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक–LXV** में दिया गया है।

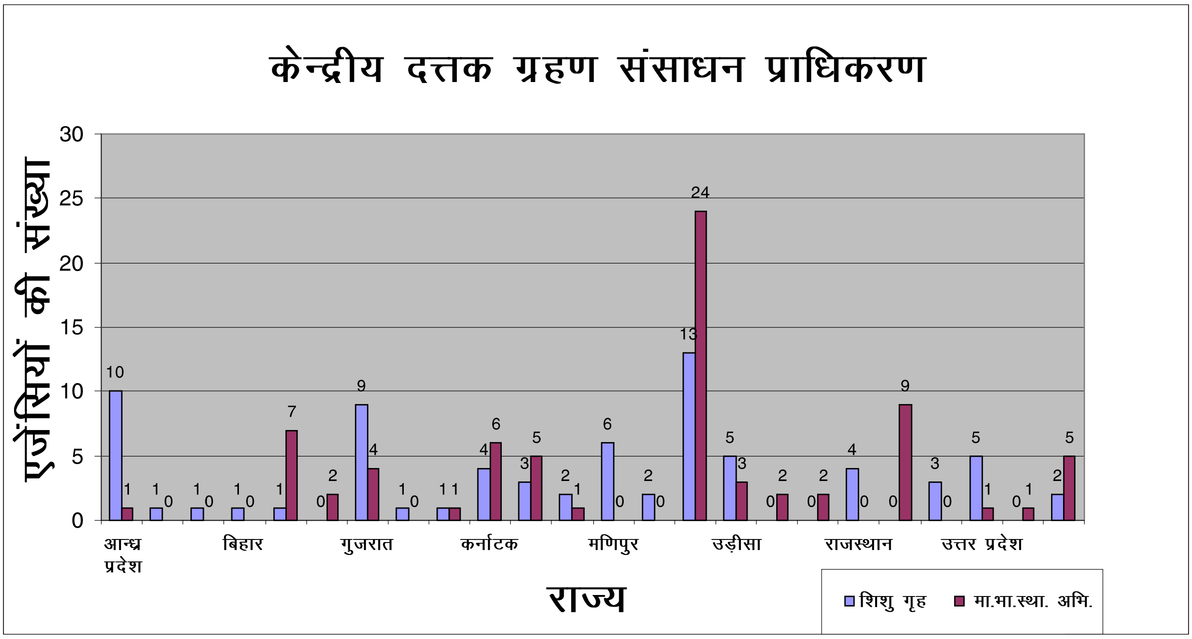

'कारा' और उसके अमेरीकी समकक्षों के बीच परामर्श बैठक

दत्तक ग्रहण के आकड़े

वर्ष (जनवरी से दिसंबर तक)	देश में दत्तक ग्रहण			प्रवासी भारतीयों/पी.आई.ओं./विदेशियों द्वारा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण–पत्रों की संख्या	योग (4+5)
1	2	3	4	5	6
	मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियां	शिशुगृह	योग (2+3)		
2008	1419	750	2169	821	2990
2009*	1074	368	1442	666	2108

* दिसंबर, 2009 तक

III **सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण:** भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए संभावित विदेशी दत्तक अभिभावकों के आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए कारा द्वारा सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों की संख्या 97 है। इसके अलावा, 25 देशों के 46 सरकारी विभाग भी इस कार्य में संलग्न हैं।

IV **दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरण:** इस समय देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढावा देने, दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों तथा दत्तक ग्रहण के इच्छुक भावी अभिभावकों की राज्य स्तर पर सूचियां बनाए रखने, दत्तक ग्रहण का प्रचार करने और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने तथा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए स्वीकृति पत्र जारी करने के लिए कारा द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरणों की संख्या 18 है।

यह संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कई अभिकरणों से अभी सूचना आनी है। इन आंकड़ों में राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य लाइसेंस प्राप्त दत्तक ग्रहण अधिकरणों के देश के भीतर दत्तक ग्रहण से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं है।

प्रशिक्षण/विकास गतिविधियां

13.8 विभिन्न लक्ष्य वर्गों, जैसे स्थापन अभिकरणों, दत्तक ग्रहण समन्वय अभिकरणों, जांच अभिकरणों, शिशु गृहों, न्यायिक अधिकारियों, बाल कल्याण समितियों के सदस्यों, चिकित्सा व्यवसायियों और संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों तथा अन्य संबंधित पक्षों के लिए प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली का विकास

13.9 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली दत्तक ग्रहण के लिए एक वेब आधारित एम आई एस पोर्टल है। यह कारा की आई टी एपलिकेशन पर एक भव्य परियोजना है, जिसे देश में दत्तक ग्रहण की पद्धति का पुनर्गठन करने, दत्तक ग्रहण की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने, कारा की सतर्कता प्रशासन से संबंधित मुद्दों जैसे मान्यता देना, पुनः स्थापना, विभिन्न प्रकार की निकासी, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में सुधार लाना तथा दत्तक ग्रहण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए नियामक प्राधिकरण के काम–काज को प्रभावी बनाने हेतु किया गया है। यह एक मास्टर डाटा बेस है और एक बार इसके आनलाइन होने पर इसे नियमित रूप से अद्यतन करने की आवश्यकता होगी। यह एक ऐसे डाटाबेस के रूप में काम करेगा, जहां से विभिन्न गतिविधियों की रिपोर्टों को प्राप्त किया जा सकेगा। यह समीक्षा, फीडबैक, मॉनीटरिंग करने में सक्षम होगा और इससे काम में विलम्ब भी नहीं होगा।